

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Thursday, 29 June 2017 / 08 Ashaadha 1939 (Saka)

No. 52

2.12 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.12 PM **Special Mention (Rule 280):** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Shri Ajay Dutt
2. Shri Jagdeep Singh
3. Shri Shri Dutt Sharma
4. Shri Som Dutt
5. Shri Saurabh Bharadwaj
6. Shri Jagdish Pradhan
7. Shri Vishesh Ravi (Hon'ble Deputy Chief Minister intervened)
8. Shri Shiv Charan Goel
9. Shri Manjinder Singh Sirsa
10. Ms. Alka Lamba

2. 2.56 PM The Chair greeted Shri Sharad Kumar, Hon'ble Member on his Birthday.

3. 2.57 PM Shri Manjinder Singh Sirsa, MLA of BJP sought to know the fate of his notices for Calling Attention and Adjournment Motion.

The Chair ruled that the House was set to discuss important issues and hence he was not allowing any other notices for discussion.

Not satisfied with the Chair's ruling, Member of the BJP protested and walked of the House.

4. 2.59 PM Shri Kapil Mishra, Hon'ble Member was named by the Chair and asked to withdraw from the House as he was disturbing the proceedings of the House. As Shri Kapil Mishra refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.

5. 3.01 PM **Adoption of Report:**

Ms. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker moved the following Motion:

*"This House agrees with the **Third Report of Rules Committee presented on 28 June 2017**".*

The Motion was put to vote and was adopted by voice-vote

6. 3.03 PM **Short Duration Discussion (Rule-55):**

I. Shri Jarnail Singh initiated Short Duration Discussion on **"Need for providing reservation for students belonging to Delhi in the Institutions of Higher Education in Delhi"**.

The following Members participated in the discussion:

1. Shri Rajesh Gupta
2. Shri Nitin Tyagi
3. Shri Saurabh Bhardwaj
4. Shri Rituraj Govind
5. Shri Anil Kumar Bajpai
6. Shri Manjinder Singh Sirsa
7. Ms. Alka Lamba
8. Shri Ajay Dutt
9. Shri Jagdeep Singh
10. Shri Naresh Yadav

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister replied to the discussion and moved the following two Resolutions with the leave of the House :

I. *"The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi having its sitting in Delhi on 29 June 2017;*

Taking note of the fact that there are over two lakh students who pass out from schools in Delhi, who are struggling to get admission in Institutions of Higher Education;

Also noting the fact that twenty eight colleges affiliated to the University of Delhi are funded partially or fully by the Government of NCT of Delhi from the resources contributed by the tax payers of Delhi;

Hereby resolves that 85% of the total seats in the Institutions and colleges of Higher Education affiliated to the University of Delhi that are funded by the Government of NCT of Delhi, be reserved for students belonging to Delhi."

II *"The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi having its sitting in Delhi on 29 June 2017;*

Taking note of the fact that there are over 2 lakh students who pass out from schools in Delhi, many of whom are struggling to get admission in Higher Education institutions;

Taking further note of the fact that as per the following provisions of the Delhi University Act, 1922 no other University in Delhi is legally authorised to grant affiliation to any college;

Sub-Section (2) of Section 5;

"Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, no educational institution within

the afore-mentioned limits shall be associated in any way with or be admitted to any privileges of any other University incorporated by law in India, and any such privileges granted by any such other University to any educational institution within those limits prior to the commencement of this Act shall be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act:

Provided that the Central Government may by order in writing, direct that the provisions of this sub-section shall not apply in the case of any institution specified in the order;

Provided further that provisions of this sub-section shall not apply in the case if any educational institution affiliated to the Indraprastha Vishwavidyalaya incorporated under the Indraprastha Vishwavidyalaya Act, 1998”.

With the Government of NCT of Delhi in favour of increasing the number of institutions by way of opening a University that would also be authorised to affiliate colleges which would end the shortage of Higher Education institutions in Delhi;

Hereby resolves to recommend to the Central Government to amend the Delhi University Act (1922), and add another proviso in Sub-section (2) of Section 5 which would state:

‘Provided further that provisions of this sub-section shall not apply in the case of any educational institution affiliated to the State Universities in Delhi, which are presently existing or may be set-up in future.’

Both the Resolutions were put to vote and adopted by voice vote.

7. 4.32 PM

House adjourned for Tea Break upto 5.00 PM

8. 5.15 PM

**House reassembled
Hon’ble Speaker in- Chair.**

9. 5.16 PM

Ruling of the Chair referring matter to the Committee of Privileges:

Ms. Rakhi Birla, Hon’ble Deputy Speaker stated that action should be taken against a lady who had supported the two persons who had shouted slogans from the visitors’ gallery on 28.06.2017. Other Members also stated that the said lady had entered the MLA Lounge and used abusive and threatening language against the Hon’ble Members. Ms. Rakhi Birla proposed that the Committee of Privileges should enquire into the conduct of the lady.

The Chair informed the House that his attention had been invited by Members towards the fact that a lady had unauthorisedly entered the MLA Lounge and abused Hon’ble Members. She had also tried to enter the visitors’ gallery without proper authorization. The Chair stated that the lady had reportedly entered the Assembly again on 29.06.2017. The Chair also informed that the entry on 28.06.2017 had been facilitated by the Office of the Leader of Opposition and the entry on 29.06.2017 had been facilitated by Shri Kapil Mishra.

The Chair took the sense of the House and referred the matter to the Committee of Privileges.

10. 5.25 PM

Short Duration Discussion:

II. Ms. Alka Lamba initiated Short Duration Discussion on **“Growing incidents of alleged mob lynching in the country”**.

The following Members participated in the discussion :

1. Shri Amanatullah Khan
2. Shri Somnath Bharti

(Shri Manjinder Singh Sirsa, Hon’ble Member was named by the Chair and asked to withdraw from the House as he was disturbing the proceeding of the House. As Shri Manjinder Singh Sirsa refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.)

(6.12 PM: The House agreed to extend the sitting by half an hour)

Shri Somnath Bharti, Hon’ble Member moved the following Resolution with the leave of the House :

“The Legislative Assembly of NCT of Delhi having its sitting in Delhi on 29 June, 2017:

Recalling with pride the principles on which the foundation of our secular democratic republic is established;

Hoping that those very principles continue to guide the conduct of each and every citizen of the country,

Exhorting each one of our country men to do their best to uphold the “Constitution of India in letter and spirit and not fall for vicious and divisive propaganda;

Condemns in strongest possible terms the mindless mob violence being unleashed across the country in the name of religion;

Urges upon the fellow countrymen to remain ever vigilant to threats posed by divisive elements masquerading as protectors of religions of different shades.”

Shri Manish Sisodia, Hon’ble Deputy Chief Minister replied to the discussion

(6.29 PM: The House agreed to extend the sitting by half an hour)

The Resolution moved by Shri Somnath Bharti was put to vote and adopted by voice vote.

11. 6.51 PM

Shri Manish Sisodia, Hon’ble Deputy Chief Minister moved the following Motion :

“This House agrees to have two more sittings i.e. on 30 June, 2017 and 03 July, 2017 to enable us to transact the business being brought before the House.”

The Motion was put to vote and adopted by voice vote.

12. 6.52 PM

The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Friday, 30 June 2017.

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

वीरवार, 29 जून, 2017 / 08 आषाढ़, 1939 (शक)

संख्या-52

2.12 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.12 बजे

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :-

1. श्री अजय दत्त
2. श्री जगदीप सिंह
3. श्री श्रीदत्त शर्मा
4. श्री सोम दत्त
5. श्री सौरभ भारद्वाज
6. श्री जगदीश प्रधान
7. श्री विशेष रवि (माननीय उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया)
8. श्री शिवचरण गोयल
9. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
10. सुश्री अलका लाम्बा

2. 2.56 बजे

अध्यक्ष महोदय ने श्री शरद कुमार, माननीय सदस्य को उनके जन्मदिवस पर बधाई दी।

3. 2.57 बजे

भारतीय जनता पार्टी के श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण तथा कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में जानना चाहा।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि सदन की बैठक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। इसलिए उन्होंने किसी भी अन्य सूचना पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है।

4. 2.59 बजे

अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के दोनों सदस्यों ने विरोध किया और सदन से बहिर्गमन किया। श्री कपिल मिश्रा, माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित किया गया तथा सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वह सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। चूंकि श्री कपिल मिश्रा स्वेच्छा से बाहर नहीं गये, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने का निर्देश दिया।

5. 3.01 बजे

प्रतिवेदन पर सहमति :

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

“यह सदन दिनांक 28 जून 2017 को प्रस्तुत **नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन** से सहमत है।”

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

6. 3.03 बजे

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):

1. श्री जरनैल सिंह ने “**दिल्ली के उच्च-शिक्षा संस्थानों में दिल्ली से संबंधित विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता**” विषय पर अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री राजेश गुप्ता
2. श्री नितिन त्यागी
3. श्री सौरभ भारद्वाज
4. श्री रितुराज गोविंद
5. श्री अनिल कुमार बाजपेई
6. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
7. सुश्री अलका लाम्बा
8. श्री अजय दत्त
9. श्री जगदीप सिंह
10. श्री नरेश यादव

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा सदन की अनुमति से निम्नलिखित दो संकल्प प्रस्तुत किये :-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 29 जून, 2017 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में :

“इस तथ्य पर गौर करते हुए कि दिल्ली के विद्यालयों से दो लाख से भी अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए संघर्ष करते हैं;

इस तथ्य पर भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 28 महाविद्यालयों को दिल्ली के करदाताओं द्वारा दिये गये अंशदान के संसाधनों से आंशिक रूप से या पूर्णतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से निधियां प्राप्त होती हैं;

एतद्वारा यह संकल्प करती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल सीटों में से 85 प्रतिशत दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जायें।”

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा दिनांक 29 जून, 2017 को दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में :

“इस तथ्य पर गौर करते हुए कि दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों से दो लाख से भी अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और उनमें से अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं;

इस तथ्य पर भी ध्यान देते हुए कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम (1922) के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दिल्ली में कोई अन्य विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए वैधानिक रूप से प्राधिकृत नहीं है;

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा- 5 की उप-धारा (2) के अनुसार :

“तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, उपर वर्णित सीमाओं के अंदर कोई शिक्षण संस्थान भारत में विधि द्वारा

निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी रूप में सहयुक्त नहीं की जायेगी या उसे ऐसे विश्वविद्यालय का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जायेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उन सीमाओं में ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा किसी शिक्षण संस्थान को दिया गया ऐसा कोई विशेषाधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ पर वापिस ले लिया गया समझा जायेगा; परंतु केन्द्र सरकार लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस उप-धारा के उपबंध, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे; परंतु इस उप-धारा के उपबंध इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 के अधीन इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी शिक्षण संस्थान पर लागू नहीं होंगे”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ऐसा विश्वविद्यालय खोलकर, संस्थानों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में है जो महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने के लिए भी प्राधिकृत हो, जिससे दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी पर रोक लग सके; तदानुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 में संशोधन करने और धारा-5 की उप-धारा (2) में एक अन्य परंतुक जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार को अनुमोदन करने का संकल्प करता है, जिसमें यह उल्लिखित हो : परंतु इस उप-धारा के प्रावधान दिल्ली में राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किसी शिक्षण संस्थान की दशा पर लागू नहीं होंगे, जो वर्तमान में विद्यमान हैं या भविष्य में स्थापित किये जाने हैं।”

दोनों संकल्पों को मतदान के लिए रखा गया तथा सर्वसम्मति से ध्वनिमत से स्वीकार किये गये।

7. 4.32 बजे

सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए अपराह्न 5.00 बजे तक स्थगित हुई।

8. 5.15 बजे

सदन पुनः समवेत हुआ।

9. 5.16 बजे

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपने के संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था:

सुश्री राखी बिडला, माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि उस महिला के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने उन दो व्यक्तियों का समर्थन किया था, जिन्होंने दिनांक 28.06.2017 को दर्शक दीर्घा से नारेबाजी की थी। अन्य सदस्यों ने भी कहा कि उक्त महिला ने एम.एल.ए. लाउंज में प्रवेश किया था और कुछ माननीय सदस्यों के विरुद्ध अभद्र तथा धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया था।

सुश्री राखी बिडला ने प्रस्ताव किया कि उक्त महिला द्वारा एम.एल.ए. लाउंज में अनधिकृत प्रवेश तथा तदंतर घटनाक्रम के सम्पूर्ण एपीसोड के संबंध में विशेषाधिकार समिति को जांच करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों द्वारा उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि एक महिला ने अनधिकृत रूप से एम.एल.ए.लाउंज में प्रवेश किया तथा माननीय सदस्यों के साथ अभद्रता की। उसने अनधिकृत रूप से दर्शक दीर्घा में भी प्रवेश करने का प्रयास किया था। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त महिला ने कथित रूप से पुनः दिनांक 29.06.2017 को विधानसभा में प्रवेश किया। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि दिनांक 28.06.2017 को उसके प्रवेश का अनुमोदन नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय द्वारा किया गया और दिनांक 29.06.2017 को श्री कपिल मिश्रा ने प्रवेश करने में उसकी सहायता की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय, श्री कपिल मिश्रा तथा उक्त महिला के तालमेल पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि सम्पूर्ण घटनाक्रम की ओर जांच करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की भावनाओं को देखते हुए मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

10. 5.25 बजे

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):

1.1. सुश्री अलका लाम्बा ने “देश में भीड़ द्वारा उन्नाद और निर्मम हत्या की कथित रूप से बढ़ती घटनाओं” के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री अमानतुल्लाह खान
2. श्री सोमनाथ भारती

(श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय द्वारा इंगित किया गया तथा सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया क्योंकि वह सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। चूंकि श्री मनजिंदर सिंह सिरसा स्वेच्छा से बाहर नहीं गये, इसलिए अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने का निर्देश दिया।)

[6.12 बजे : सदन बैठक की अवधि आधे घंटे तक बढ़ाने के लिए सहमत हुआ]

श्री सोमनाथ भारती, माननीय सदस्य ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा 29 जून, 2017 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में:

“गर्व से उन सिद्धान्तों को स्मरण करते हुए जिन पर हमारे धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गयी है;

यह आशा करता है कि वही सिद्धान्त देश के प्रत्येक नागरिक के आचरण का मार्गदर्शन करते रहेंगे;

देश के प्रत्येक नागरिक को, भारत के संविधान को इसकी पूर्ण आत्मा में संजोए रखने के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान देने के लिए और दुष्ट एवं विभाजनकारी दुष्प्रचार में न फंसने का आह्वान करते हुए,

पूरे देश में धर्म के नाम पर उन्मत्त भीड़ द्वारा बिना सोचे समझे की जा रही हिंसा की कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए;

अपने साथी देशवासियों से विभाजनकारी तत्वों एवं छद्म धर्म संरक्षकों के भिन्न स्वरूपों द्वारा पैदा किए जा रहे संकट के प्रति सदैव सतर्क रहने का आह्वान करता है।”

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

[6.29 बजे : सदन बैठक की अवधि आधे घंटे तक बढ़ाने के लिए सहमत हुआ]

श्री सोमनाथ भारती द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

11. 6.51 बजे

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:

“सदन के समक्ष लाये जा रहे कार्य के निपटान के लिए, सदन दिनांक 30 जून, 2017 एवं 03 जुलाई, 2017 को दो और बैठकें बुलाने के लिए सहमत है।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

12. 6.52 बजे

अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 जून, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली
29 जून, 2017

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव